announcement of Drug Policy 1986, the findings of which have been ordered for review and scrutiny;

(b) what are the details of such Committees whose findings have been reviewed and action taken;

(c) whether his Ministry have found any irregularities;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) what are the names of the Committees whose reports and findings are still under review and scrutiny and by when a final decision will be taken thereon?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): (a) to (e) To the extent available, the information is given in the statement. (*See* Appendix CLVIL, Annexure No. 5.)

"स्वागत" पत्रिका विदेशी फर्म द्वारा मुद्रित

153. **श्री अजीत जोगी** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स की पत्रिका "स्वागत" का मुद्रण और प्रकाशन एक विदेशी फर्म द्वारा किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है ;

(ग) इस संबंध में विदेशी फर्म के साथ हुए समझौते के निर्बन्धन और शर्तें क्या हैं ;

(घ) इस पत्रिका का मुद्रण और प्रकाशन विदेश में कराने के लिए अब तक कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गयी है ; और

(ङ) क्या सरकार इस पत्रिका का प्रकाशन अपने देश में ही कराने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस की उड़ानगत पत्रिका "स्वागत" हांगकांग में निगमित मैसर्स मीडिया ट्रांसएशिया लिमिटेड द्वारा मुद्रित और प्रकाशित की जाती है जिसका मालिक एक अनिवासी भारतीय है ।

(ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा इस प्रकाशन के लिए कोई राशि नहीं दी जाती है।

(ग) करार के अंतर्गत, उक्त प्रकाशक द्वारा प्रति माह उड़ानगत पत्रिका की 60,000 प्रतियां यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन एयरलाइंस को उसकी उड़ानों के दौरान रखने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं । यह प्रकाशक, प्रकाशन की लागत "स्वागत" में दिए गए विज्ञापनों से अर्जित राजस्व से पूरी करता है ।

(घ) इसमें विदेशी मुद्रा का कोई व्यय नहीं है ।

(ङ) अभी तक कोई भारतीय पार्टी ऐसी आकर्षक शर्तें और गुणवत्ता प्रस्तुत नहीं कर सकी है जो मैसर्स मीडिया ट्रांसएशिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इसके अलावा, उक्त प्रकाशक के साथ करार मई, 1993 में समाप्त होगा।

कच्चे तेल और गैस की खोज के लिए रिग्स और ड्रिलिंग मशीनों का किराए पर लिया जाना

154. **श्री अजीत जोगी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करने के लिए सरकार ने इस समय कितनी रिग्स और ड्रिलिंग मशीनें किराए पर ली हुई हैं ;

(ख) प्रत्येक रिग्स और ड्रिलिंग मशीन के लिए किराए के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है और इस संबंध में विदेशों को अब तक कुल कितनी राशि का विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जा चुका है ; और

(ग) अब तक कितने रिग्स और ड्रिलिंग मशीनों को प्रयोग में नहीं लाया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) फिलहाल, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भाड़े पर ली गई रिगों की संख्या क्रमशः 34 और 2 है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) भाड़े पर ली गई उन रिगों की संख्या शून्य है जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है ।

गलगण्ड का फैलना

155. श्री अजीत जोगी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में गलगण्ड रोग फल गया है ; यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इससे प्रभावित व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) आयोडीन की कमी के कारण कौन-कौन-सी बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) ऐसे बच्चों और वयस्कों की अनुमानित संख्या कितनी है जो इस समय गलगण्ड रोग से पीड़ित हैं ; और

(घ) सरकार ने इस मामले में लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए हैं या करने का विचार रखती है, तथा इस रोग का सामना करने के लिए पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री और उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दसई चौधरी) : (क) से (घ) जी, हां । सरकार को मध्य प्रदेश में तथा देश के अन्य भागों में गलगण्ड के प्रकोप की जानकारी है । पिछले तीन वर्षों के दौरान बच्चों और प्रौढ़ व्यक्तियों में गलगण्ड के प्रकोप का राज्यवार ब्यौरा **संलग्न विवरण** में दिया गया है ।

आयोडीन की कमी मानव विकास की प्रत्येक अवस्था जैसे गर्भस्थ, नवजात शिशु, बालकों, किशोरों तथा प्रौढ़ व्यक्तियों को प्रभावित करती है । आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों का क्रम निम्न प्रकार है :—

(1) **गर्भ**:—गर्भपात मृत शिशु जन्म, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, बौनापन, मानसिक मंदता और गूंगा/बहरापन ।

(2) **नवजात शिशु** :—नवजात गलगण्ड, नवजात अवटु-अल्पक्रियता ।

(3) **बालक एवं किशोर** :—गलगण्ड, मानसिक क्रिया में कमी, शारीरिक विकास में मंदता ।

(4) **प्रौढ़** :—गलगण्ड, अवटु अल्पक्रियता, विकृत मानसिक क्रियाशीलता । गलगण्ड, आयोडीन की कमी वाले विकारों की समस्या को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत वर्ष 1992 तक तमाम नमक को आयोडिकृत करने का विचार है । तदनुसार 15 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, ने अपने-अपने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में आयोडीकृत नमक को छोड़कर नमक की